

TEACHING AND EXAMINATION SCHEME

First Examination in Law (TDC)

Written Papers	L	T/P	Exam.	Marks	Hours
Law 101 Law of Contract-I (General Principle and Specific Relief)	3	-	3	100	
Law 102 Law of Torts and Consumer Protection	3	-	3	100	
Law 103 Law of Evidence	3	-	3	100	
Law 104 Family Law-I (Hindu Law)	3	-	3	100	
Law 105 Constitutional Law of India	3	-			3
Law 106 Public International Law and Human Rights	3	-	3	100	
Law 107 Law of Contract-II (Specific Contracts)	3	-	3	100	
Optional					
Law 108 (a) Indian Legal and Constitutional History	1	-	3	100	
(b) Insurance Law	1	-			3
(c) Equity, Trust and Fiduciary Relations	1	-	3	100	
Law 109 Professional Ethics, Advocacy for Lawyer and Bar-Bench Relations	2	-	1		3
					Written 80 Viva-Voce 20
				26	1
					27
					900

-Stands for LL.B. Part 1 Year TDC

-Stands for First paper; 02 stands for Second paper and so on

L-Stands for Lecture of 55 Minutes

T-Stands for Tutorials

P-Stands for Practical

For a pass, a candidate must obtain :

- (a) 36 per cent marks in each written, practical/viva-voce paper, and (b) 48 per cent marks in aggregate.

First Examination in Law
PAPER I
LAW CONTRACT - I
GENERAL PRINCIPLES AND SPECIFIC RELIEF

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provisions for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version. English Version will prevail.

Unit 1 : Formation of Contract

- (a) General : Definition and characteristics of contract, agreement, promise, kinds of contract-express, implied void, voidable, illegal, executory, standard form of contract.
- (b) Proposal : Definition, its kinds, characteristics, elements of communication, revocation and termination.
- (c) Acceptance : Definition, modes, characteristics, communication and revocation.
- (d) Consideration : Definition, elements of consideration, insufficiency of consideration, illegal consideration, object and concept of stranger to contract.

Unit 2 : Formation of Contract :

- (a) Capacity to Contract : Who cannot make a contract, who is minor, nature of minor's contract, estoppel against minor, agreement for necessaries : person of unsound mind, nature of contract by a person of unsound mind, persons deprived of the capacity to contract.
- (b) Free Consent : Meaning, elements rendering consent not free-coercion, undue influence, misrepresentation, fraud and mistake

Unit 3: (a) Void Agreement : Restraint of marriage, trade, legal proceeding, uncertainty, wagering agreements.

- (b) Contingent Contract : distinction between wagering contract and contingent contract.
- (c) Discharge of Contract by performance : Tender of performance, Joint rights and Joint liabilities of parties; time, place and manner of performance; performance of reciprocal promises, novation, accord and satisfaction.

Unit 4 : (a) Discharge from liability to perform : Impossibility, Anticipatory Breach of Contract

- (b) Discharge of contract by Breach : Remedies for breach of contract, compensation, remoteness of damages
- (c) Certain relation resembling contract (Quasi Contract)

Unit 5 : The Specific Relief Act, 1963 : Recovery of Possession of property, contracts which can and cannot be specifically enforced, rectification of instruments, rescission of contracts cancellation of instruments, declaratory decree and injunctions.

विधि प्रथम वर्ष
प्रथम प्रश्न-पत्र
संविदा विधि – प्रथम
(सामान्य सिद्धान्त एवं विशिष्ट उपचार)

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
(2) यह सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
(3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
(4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1 : संविदा का गठन

- (अ) सामान्य : परिभाषा एवं संविदा की विशेषताएं, करार, प्रतिज्ञा, संविदा के प्रकार—अभिव्यक्त, प्रलक्षित, शून्य, शून्यकरणीय, अवैध, निष्पाद्य संविदा का मानक स्वरूप।
(ब) प्रस्ताव : परिभाषा व प्रकार, विशेषताएं, सम्बन्धन, प्रतिसंहरण व समाप्ति।
(स) स्वीकृति : परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, सम्बन्धन एवं प्रतिसंहरण।
(द) प्रतिफल : परिभाषा, प्रतिफल के आवश्यक तत्व, बिना प्रतिफल के करार, प्रतिफल की अपर्याप्तता, अवैध प्रतिफल, उद्देश्य एवं संविदा के प्रति संविदा के पक्षकारों से भिन्न व्यक्ति की (Stranger to Contract) अवधारणा।

इकाई 2 : संविदा का निर्माण

- (अ) संविदा करने की क्षमता : संविदा कौन नहीं कर सकता है? अवयस्क कौन है, अवयस्क के साथ संविदा की प्रकृति, अवयस्क के विरुद्ध विबन्धन, आवश्यकता की पूर्ति के लिए करार : अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा की गई संविदा की प्रकृति, संविदा करने की क्षमता से वंचित व्यक्ति।
(ब) स्वतंत्र सहमति : अर्थ, वे तत्व जो सहमति को स्वतंत्र नहीं रहने देते— उत्पीड़न, अनुचित प्रभावप दुर्व्यपदेशन, कपट एवं भूल।
इकाई 3: (अ) शून्य करार : विवाह में अवरोध पैदा करने वाले करार, व्यापार में व विधि कार्यवाही में अवरोधक करार, अनिश्चिता एवं बाजी के करार, असम्भवता।
(ब) आकस्मिक संविदा; बाजी की संविदा एवं आकस्मिक संविदा में अन्तर।
(स) अनुपालन से संविदा का उन्मोचन: पालन करने के लिए प्रस्ताव, पक्षकारों के संयुक्त अधिकार व दायित्व, पालन का समय व तरीका, पारस्परिक प्रतिज्ञाओं की अनुपालना, नवीनीकरण, प्रयास एवं सन्तुष्टि, अनुपालना के दायित्व से मुक्ति।

- इकाई 4 : (अ) संविदा को पूर्ण करने के दायित्व का उन्मोचन असम्भवता, समय पूर्व संविदा भंग।
(ब) भंग द्वारा संविदा का उन्मोचन, संविदा भंग के लिए उपचार, क्षतिपूर्ति, दूरस्थ हर्जाना।
(स) संविदा के सदृश्य कतिपय सम्बन्ध ; फर्नेप ब्दजतंबजद्ध

इकाई 5 : विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

सम्पत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, संविदा जिनका यथावत पालन किया जा सकता है तथा जिनका यथावत पालन नहीं किया जा सकता, विलेखों का परिशोधन, संविदा की समाप्ति, विलेख का निरस्तीकरण, घोषणात्मक डिक्ली, व्यादेश।

Leading Cases

Unit No.

1. Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co., (1883) Q.B. 256	1
2. Maula Bux v Union of India, A.I.R. 1972 S.C. 19545	4
3. Bhagwandas v. Girdhari Lal & Co. Ltd., A.I.R. 1966 S.C. 543	1

4. Motilal Padampur Sugar Mills Co. Ltd. v State of U.P., A.I.R. 1979 S.C. 621	1
5. Lalman Shukla v. Gauri Dutt, (1913) All L.J. 489	2
6. Mohari Bibi v. Dharmodas Ghosh, 1903 (L.R.I.A) 122	2
7. Basara v. State of Mysore, AIR 1977 S.C. 1749	4

Book Recommended

Anson : Principles of English Law of Contract, Edited by A.G. Guest (22nd ed.)

Pollock and Mulla : Law of Contract and Specific Relief

Cheshire and Fifoot : Law of Contract

Subba Rao G.V.C. : Law of Specific Relief

Bangia, R.K. : Indian Contract Act

Desai, P.R. : Principles of Law of Contract

Avtar Singh : Law of Contract

अवतारसिंह : संविदा विधि

नवीन माथुर एवं नरेश सहल : व्यापारिक सन्धियम कपूर

एस.के. सविदा विधि

PAPER II

LAW OF TORTS AND CONSUMER PROTECTION

- Note : (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.
- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version will prevail.

Unit 1 : Definition of Tort : Constituents of torts - wrongful act, legal damages, legal remedy, elements, malice, Intention and motive, nature of torts, Distinction between torts and other wrongs, Maxims Ubi jus ibi remedium, Damnum sine injuria, injuria sine damno, capacity to sue and to be sued.

Unit 2 : (a) General Defences for Torts

(b) Vicarious liability - Meaning and elements, how it arises : by ratification, by relation, abetment, master and servant, owner and independent contractor, vicarious liability of State, Doctrine of common employment (c) Absolute Liability

(i) The Rule in Rylands vs. Fletcher : Scope of the rule, defences modern position of this rule

(ii) Strict liability regarding dangerous animals, premises and things

Unit 3 : Torts to person : Assault, Battery, False imprisonment.

Torts to property : Trespass meaning and kinds, trespass to movable and immovable property, Trespass ab-initio, remedies for trespass, defences for trespass, Detinue,

conversation Torts to persons and property; Negligence : Meaning, elements Resipsa-loquitor, Contributory negligence of children, doctrine of identification

Defamation-Meaning kinds and defences

Unit 4 : Nervous Shock

Nuisance :Meaning and its kinds-public and private nuisance, who can sue for nuisance, who is liable for nuisance, remedies for nuisance Deceit or fraud Inducing breach of contract Abuse of legal procedure-malicious prosecution and conspiracy

Unit 5 : (a) Competition Act 2002

Nature, Scope, Aims, Objectives & Salient features enforced by notification

(b) The Consumer Protection Act, 1986: Objects and Reasons, Definitions, Composition and powers of Central Protection Council and State Protection Council

(c) Consumer Disputes Redressal Agencies : Composition and powers of District Forum, State Commission, National Commission, Appeal, offences, Penalties, and Procedure

द्वितीय प्रश्न-पत्र

अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण

टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।

(4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: अपकृत्य की परिभाषा : आवश्यक तत्व, दोष पूर्ण कृत्य, विधिक क्षतिपूर्ति, विधिक उपचार-तत्व – दुर्भावना, आशय, हेतु, अपकृत्य की प्रकृति, अपकृत्य एवं अन्य अनुचित कृत्यों के बीच में अन्तर।

सूत्र : जहां अधिकार है वहां उपचार है, हानि के बिना क्षति, क्षति के बिना हानि, वाद करने एवं वाद लाने की क्षमता।

इकाई 2 : (अ) अपकृत्य के सामान्य बचाव

(ब) प्रतिनिधायी दायित्व – अर्थ एवं तत्व, यह कैसे उत्पन्न होता है?: पुष्टि के द्वारा, सम्बन्ध के द्वारा, उत्प्रेरण के द्वारा। स्वामी एवं सेवक, स्वामी एवं स्वतंत्र ठेकेदार, प्रतिनिधायी दायित्व, राज्य का दायित्व, संयुक्त नियोजन का सिद्धान्त।

(स) पूर्ण दायित्व

(1) राईलैण्ड व फलैचर का नियम : नियम का क्षेत्र, अपवाद नियम की आधुनिक स्थिति

(2) खतरनाक जानवरों, परिसरों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित कठोर दायित्व।

इकाई 3: (अ) व्यक्ति के प्रति अपकृत्य : प्रहार, संप्रहार, मिथ्या कारावास।

(ब) सम्पत्ति के प्रति अपकृत्य : अतिचार – अर्थ, प्रकार, चल एवं अचल सम्पत्ति के प्रति अतिचार, प्रारम्भ से अतिचार, अतिचार के विरुद्ध उपचार, अतिचार के बचाव, अवरोध एवं संपरिवर्तन,

(स) व्यक्ति एवं सम्पत्ति के प्रति अपकृत्य :

असावधानी : अर्थ, तत्व एवं घटना स्वयं बोलती है, अंशदायी असावधानी, बच्चों द्वारा असावधानी, पहचान

(Identification) का सिद्धान्त, मानहानि : अर्थ, प्रकार एवं बचाव

इकाई 4: तंत्रिकाघात :

उपताप : अर्थ एवं प्रकार एवं व्यक्तिगत उपताप, उपताप के लिए कौन वाद कर सकता है? उपताप के लिए कौन दायी है? उपताप के लिए उपचार, धोखा या कपट, साविदा भंग करने हेतु उत्प्रेरणा, विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग – विद्वेष पूर्ण अभियोजन एवं षडयंत्र।

इकाई 5: (अ) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 : प्रकृति, क्षेत्र उद्देश्य एवं लक्ष्य, प्रमुख विशेषताएं अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त (ब) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 : उद्देश्य एवं कारण, परिभाषाएं, केन्द्रीय एवं राज्य संरक्षण परिषदों का गठन एवं शक्तियां (स) उपभोक्ता विवादों के निदान हेतु अभिकरण : जिला मंच, राज्य मंच एवं राष्ट्रीय आयोग का गठन एवं शक्तियां, अपील, अपराध शास्तिया एवं प्रक्रिया।

LEADING CASES

Unit No.

1. Rose v. Ford (1937) A.C. 826	1
2. British Coloumbia Rly. Co. Ltd. v. Loach, (1916) A.C. 719	3
3. Donoghue v. Stevenson, (1932) A.C. 562	3
4. M.C. Mehta v. Union of India, AIR 1989 S.C. 1987	2
5. Derry v. Pek, 14 A.C. 337	4
6. Wagon Mound case, (1861) a.C. 338	3
7. State of Rajasthan v. Mst. Vidhyawati, AIR 1962 S.C. 933	2

BOOKS RECOMMENDED

Under Hill : A Summary of the Law of Torts

Rtanlal : The English and the Indian Law of Torts

Weinfield : Law of Torts

Sinha, B.S. : Law of Torts

Karkara, G.S. : Law Relating to Contributory Negligence

Singh, S.P. : Law of Torts

Bangia, R.K. : Law of Torts

Shukla, M.N. : Law of Torts

Basu, D.D. : Law of Torts

Karkara, G.S. : Consumer Protection Law

बागिया, आर .के. : दुष्कृत्य विधि पाण्डे,
जयनारायण : अपकृत्य विधि अग्रवाल, शर्मननाल
: अपकृत्य विधि के सिद्धान्त

PAPER III

LAW OF EVIDENCE

- Note : (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.
- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.

- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1: Preliminary: Application of the India Evidence Act, Definitions : fact in issue and relevant fact. evidence - meaning and its kinds, proved, disproved, not proved, may presume, shall presume, and conclusive proof. presumptions regarding documents

Relevancy of facts : Explaining Res-gestae, occasion, cause effect, motive, intention, preparation, previous and subsequent conduct, introductory and explanatory facts, facts not otherwise relevant, when become relevant, accidental and intentional facts

Facts which need not be proved, improper admission and rejection of facts

Unit 2: Admission and Confession :

- (a) Admission : Definition whose, admission is relevant, relevancy of admission in civil and criminal cases, admission is not conclusive proof, admission as an estoppel
- (b) Confession : Definition, its kinds, confession caused by inducement, threat or promise, confession to police officer, confession in the custody of police confession to magistrate, confession by co-accused
- (c) Difference between admission and confession (d) Relevancy of statements :
- (i) Statements by persons who cannot be called as witness
- (ii) Statements made under special circumstances
- (e) Relevance to judgment of Courts of Law
- (f) Opinions of third person, and
- (g) Relevancy of character of parties

Unit 3: Evidence : Oral evidence, documentary evidence, kinds of documentary evidence, when secondary evidence is relevant, public and private documents.

Exclusion of oral evidence by documentary evidence : Application of this principle, its exceptions, ambiguous documents, kinds of ambiguity

Unit 4 : Burden of Proof : Meaning, general principles of burden of proof in civil and criminal cases and exceptions to them, when burden of proof shifts, Proof of legitimacy of child

Estoppel : Meaning, essentials, nature and its kinds,

witnesses : Competency of witness; when persons can be compelled to appear as witness; privileged communication and documents, accomplice, hostile witness

Unit 5 : Examination of witnesses : Order of examinations, kinds of examinations, leading question, impeaching the credit of witness, question which can and which cannot be asked, refreshing the memory of witness, production of document, Judges' power to put question or to order of documents

तृतीय प्रश्न-पत्र

साक्ष्य विधि

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: प्रारम्भिक : साक्ष्य विधि का लागू होना, परिभाषाएं : विवादक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य, साक्ष्य— अर्थ एवं इसके प्रकार, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ, न्यायालय उपधारणा, कर सकेगा, न्यायालय उपधारणा करेगा एवं निश्चायक सबूत, दस्तावेजों से सम्बन्धित उपधारणाएं।

तथ्यों की सुसंगतता : रेस जेस्टा, अवसर, कारण, प्रभाव, हेतु, आशय, तैयारी, पूर्व का एवं पश्चातवर्ती आचरण, परिचयात्मक एवं व्याख्यात्मक तथ्य, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाते हैं? दुर्घटनात्मक एवं आशयपूर्वक होने वाले तथ्य। वे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तथ्यों का अनुचित रूप से ग्रहण किया जाना एवं अग्रहण किया जाना।

इकाई 2: स्वीकृति एवं संस्वीकृति

(अ) स्वीकृति : परिभाषा, किसकी स्वीकृति सुसंगत है, दीवानी एवं अपराधिक मामलों में स्वीकृति की सुसंगतता, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है, स्वीकृति विबन्धन के रूप में।

(ब) संस्वीकृति : परिभाषा, प्रकार, उत्प्रेरणा, धमकी और वचन द्वारा कारित की गई संस्वीकृति, पुलिस की अभिरक्षा में संस्वीकृति, मजिस्ट्रेट को की गई संस्वीकृति, सहअभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति। (स) स्वीकृति एवं संस्वीकृति में अन्तर।

(द) कथनों की सुसंगतता।

(1) ऐसे व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता।

(2) विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन।

(य) विधि न्यायालयों के निर्णयों की सुसंगतता।

(र) अन्य व्यक्तियों की राय।

(ल) पक्षकारों के चरित्र की सुसंगतता।

इकाई 3: साक्ष्य : मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार, द्वैतीयक दस्तावेजी साक्ष्य कब सुसंगत होता है, लोक एवं निजी दस्तावेज, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन : इस सिद्धान्त का लागू होना, अपवाद, संदिग्ध दस्तावेज, संदिग्धता के प्रकार।

इकाई 4: सबूत का भार : अर्थ, सिविल और अपराधिक मामलों में सबूत के भार के सामान्य सिद्धान्त एवं उनके अपवाद, सबूत का भार कब परिवर्तित होता है, बच्चे की वैधता का सबूत,

विबन्धन : अर्थ आवश्यक तत्व, प्रकृति एवं प्रकार

साक्षी : साक्षी की सक्षमता, कब किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में प्रस्तुत होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, विशेषाधिकृत संसूचनाएं एवं दस्तावेज, सहअपराधी, पक्षद्रोही साक्षी।

इकाई 5: साक्षियों की परीक्षा : परीक्षाओं का क्रम, परीक्षाओं के प्रकार, सूचक प्रश्न, साक्षी की साख पर अधिक्षेप, वे प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं और जो नहीं पूछे जा सकते हैं,

साक्षी की स्मृति ताजा करना,

दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण न्यायाधीश की प्रश्न पूछने व दस्तावेज को प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति।

LEADING CASES	Unit No.	
1. Pakala v. Emperor, AIR 1939 P.C.47		2
2. Lalchand Marwari v. Mahant Ramrup Giri and other AIR 1926 P.C.9		3 4
3. Venkateshwarlu v. Venkatanarayanan, A.I.R. 1954 S.C. 1976		3
4. State of Punjab v. Sukhdeo Singh, AIR 1961 S.C. 493		4
5. State of Uttar Pradesh v. Demoen Upadhyay, AIR 1960 S.C. 1125		2
6. Nishikant Jha v. State of Bihar, AIR 1969 SC 422		2
7. Sarat Chand Dey v. Gopal Chand Laha, 1891 (2) IA-203 (30 \Cal. 296)		4

BOOKS RECOMMENDED

Ratan Lal Dhiraj Lal : The Law of Evidence

M. Monir : Law of Evidence

Batuk Lal : Law of Evidence

Avtar Singh : Law of Evidence

जे.एन.द्विवेदी : भारतीय साक्ष्य अधिनियम राजाराम

यादव : भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवतार सिंह :

साक्ष्य अधिनियम

PAPER IV

FAMILY LAW (HINDU LAW)

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

(ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.

(iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.

(iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English

Version will prevail.

- Unit 1: Hindu Law : Sources, schools and application. Coparcenary, Joint family property and self-acquired property, Karta and his powers and obligation : Religious and Charitable Endowments-essentials of an endowment. Kinds Shebait and Mahant
- Unit 2: The Hindu Marriage Act, 1955 : Conditions of a Hindu marriage, ceremonies for Hindu marriage. Registration of Hindu marriage, Void and voidable marriages. Restitution of conjugal rights, Judicial separation. Legitimacy of children of void and voidable marriages; Divorce. grounds available to spouses, Alternative relief in divorce proceedings, Divorce by mutual consent, and ancillary remedies under the, Act, divorced persons when may marry again, Jurisdiction and procedure
- Unit 3: The Hindu Succession Act, 1956 : Succession to the property of a Hindu male. Succession to interest in coparcenary property, property of a Hindu female, Succession to the property of a Hindu female, General rules and disqualifications of succession, Escheat
- Unit 4: The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 : Requisites of valid adoption, Capacity to take in adoption, capacity to give 'in' adoption, persons who may be adopted, other conditions for a valid adoption. Effects of adoption, Miscellaneous provision of adoption.
- Maintenance of wife, children and parents, Maintenance of widowed daughter-in-law, Dependents and their maintenance. Amount of maintenance, Miscellaneous provisions of maintenance.
- Unit 5 : The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956: Natural guardians and their powers. Testamentary guardians and their powers, de facto guardian general provisions of guardianship
- Partition : Meaning, property for partition, persons entitled to claim partition and allotment of shares, partition how effected, Determination of Share, Reopening of partition. Re-union, Debts-Doctrine of pious obligation. Antecedent Debts

चतुर्थ

प्रश्न –पत्र

पारिवारिक विधि – प्रथम (हिन्दू विधि)

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: हिन्दू विधि : स्रोत, शाखाएं एवं लागू होना, सहदायिकी, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं स्वअर्जित सम्पत्ति, कर्ता – उसकी शक्तियां एवं दायित्व : धार्मिक एवं पुण्यार्थ विन्यास, विन्यास के आवश्यक तत्व, प्रकार, सेवायत एवं महंत।

इकाई 2: हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955:

हिन्दू विवाह की शर्तें, हिन्दू विवाह के अनुष्ठान, हिन्दू विवाह का पंजीकरण, शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह, वैवाहिक अधिकारों का पुनर्स्थापन, न्यायिक पृथक्करण, शून्य एवं शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की वैधता, विवाह विच्छेद : विवाह के पक्षकारों को उपलब्ध आधार, विवाह विच्छेद की कार्यवाही में वैकल्पिक अनुतोष, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद एवं अधिनियम के अन्तर्गत आनुषंगिक अनुतोष, विवाह विच्छेद प्राप्त किए व्यक्ति कब पुनर्विवाह कर सकते हैं, क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया।

इकाई 3: हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 : हिन्दू पुरुष की सम्पत्ति का उत्तराधिकार, सहदायिकी सम्पत्ति में हित का उत्तराधिकार, हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति: हिन्दू स्त्री की सम्पत्ति का उत्तराधिकार, सामान्य नियम एवं उत्तराधिकार में निर्योग्यताएं, सम्पत्ति का राजगामी होना।

इकाई 4: हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 : वैध दत्तक ग्रहण की अपेक्षाएं, दत्तक ग्रहण करने की क्षमता, वे व्यक्ति जिनका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, वैध दत्तक की अन्य शर्तें, दत्तक से सम्बन्धित प्रावधान।

पत्नी, बच्चों एवं माता-पिता का भरण-पोषण, विधवा पुत्र-वधू का भरण पोषण, आश्रित एवं उनका भरण-पोषण, भरण पोषण की राशि, भरण-पोषण से सम्बन्धित विविध प्रावधान।

इकाई 5: हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 : प्राकृतिक संरक्षक एवं उनकी शक्तियां, वसीयती संरक्षक एवं उनकी शक्तियां, तथ्यतः संरक्षक, संरक्षकता से सम्बन्धित सामान्य प्रावधान।

विभाजन : अर्थ, विभाजन के लिए सम्पत्ति वे व्यक्ति जो विभाजन का दावा कर सकते हैं तथा अंश की मांग कर सकते हैं, विभाजन कैसे प्रभावी होता है, अंशों का निर्धारण, विभाजन का पुनः खुलना एवं पुनः एकीकरण, ऋण – पवित्र दायित्व का सिद्धान्त, पूर्ववर्ती ऋण।

LEADING CASES

	Unit No.
1. Shastri YajnaPurushdasji v. Muldas, AIR 1966 SC 1119	1
2. Yamuna bai v. Annant Rao, AIR 1988 SC 644	4
3. Brij Narayan v. Mangla Prasad, (1924) 511 A 129	5
4. Bipin Chandra v. Prabhavati, AIR 1957 SC 176	2
5. Dr. Narayan v Ganesh Dastane v. Sucheta Dastane AIR 1975 SC 1534	2
6. Dharmendra Kumar v. Usha Kumari, AIR 1977 SC 2218	2
7. Tulamma v. Sesha Reddi, AIR 1977 SC 1944	3
8. Ms. Githa Hari Haran v. Reserve Bank of India, AIR 1999 SC 1149	5

BOOKS RECOMMENDED

Mulla : Principles of Hindu Law

Ragh vachariar : Hindu Law-Principles and Precedent

Paras Diwan : Modern Hindu Law

Sharma, K.P. : Hindu Law (Hindi)

पारस दीवान : आधुनिक हिन्दू विधि

केसरी, यू.पी.डी. : हिन्दू विधि त्रिपाठी,

बी.एन.मणी : हिन्दू विधि

PAPER V

CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1: Introductory: Salient Features of the Constitution. Nature of the Indian Federalism : Preamble, Citizenship and State, Fundamental Rights, Directive Principles and Fundamental Duties.

Unit 2 : Union and State Executive : President, Governor, Election, appointment, Powers, Position : Council of Ministers, Prime Minister, Parliamentary System of Government Union and State legislature; Lok Sabha, Vidhan Sabha Rajya Sabha, and Vidhan Parishad, Composition : Speaker, Chairman; Privileges; Legislative procedure

Unit 3: Union-State Judiciary : Supreme Court and High Court, Composition and Powers, Writs

Union-State Legislative Relationship-Distribution of legislative powers,
Administrative and financial relationship.

Unit 4: Service under the Union and the State, Constitutional protection to civil servants; Public Service Commission of the Union and the States Art. 300 A-Property Rights,

Freedom of Trade, Commerce and Intercourse : State Liability in Contracts and Torts, Suit by and against the State

Unit 5 : (a) Emergency provisions-National, State and Financial (b) Amendment of the Constitution-Constitutionality of Ordinary Laws and Amendment Laws, Judicial Review of Amendment and the Doctrine of Basic Structure-Major Amendments and their Constitutional value.

**पंचम
प्रश्न-पत्र
भारत का संविधान**

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: परिचयात्मक : भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संघात्मक स्वरूप की प्रकृति : प्रस्तावना, नागरिकता एवं राज्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य।

इकाई 2: केन्द्र एवं राज्य कार्यपालिका : राष्ट्रपति, राज्यपाल—निर्वाचन, नियुक्ति, शक्तियां, स्थिति : मंत्री परिषद्, प्रधानमंत्री, सरकार की संसदीय व्यवस्था, संघ एवं राज्य, विधायिका : लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद् : गठन : स्पीकर, अध्यक्ष, विशेषाधिकार : विधायन की प्रक्रिया।

इकाई 3: केन्द्र—राज्य न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, गठन एवं शक्तियां, लेख।
केन्द्र—राज्य विधायी सम्बन्ध—विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन, प्रशासनिक एवं वित्तीय सम्बन्ध।

इकाई 4: केन्द्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं : सिविल सेवकों को संवैधानिक संरक्षण : केन्द्र एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग।

अनुच्छेद 300 A – सम्पत्ति का अधिकार। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता : संविदा एवं अपकृत्य में राज्य का दायित्व, राज्य के द्वारा एवं विरुद्ध वाद।

इकाई 5: (अ) आपातकालीन उपबन्ध – राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय।
(ब) संविधान का संशोधन – सामान्य विधियों एवं संशोधन विधियों की संवैधानिकता, संवैधानिक संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन, आधारभूत ढांचे का सिद्धान्त – मुख्य संशोधन एवं उनका संविधानिक मूल्य।

LEADING CASES

Unit No.

1. Minerva Mills v. Union of India, AIR 1980 SC 1789	5
2. Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597	1
3. Union of India v. Tulsiram Patel, AIR 1985 SC 389	4
4. P.C. Wadhwa v. Union of India, AIR 1964 SC 421	4
5. Indira Sahaney v. Union of India, AIR 1994 SC 1918	1
6. S.R. Bommai v. Union of India, AIR 1994 SC 1918	5
7. Keshavananda Bharti v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461	5
8. Kehar Singh v. Union of India, AIR 1989 SC 653	2

BOOKS RECOMMENDED

Bare Act of Constitution of India as amended upto date

Shukla, VN. : Constitution of India

Jain, M.P. : Constitutional Law of India

Basu, D.D. : Introduction to the Constitution of India

एस. दयाल : भारतीय संविधान पाण्डे,

जयनारायण : भारतीय संविधान

बसु, दुर्गादास : भारतीय का संविधान—एक परिचय (अनुवादक बृज किशोर शर्मा) बसु,

दुर्गादास : भारतीय संविधान की विधि (अनुवादक बृज किशोर शर्मा)

PAPER VI

PUBLIC INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

(ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.

(iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.

(v) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1: Definition, Nature and Basis of International Law, is International Law a true Law? Weaknesses of International Law Codification and development of International Law, Relation between International Law and State Law, Sources of International Law, Subjects of International Law, Place of individual in International Law, Nationality, Extradition and Asylum

Unit 2: States in general, Kinds of States and Non-State entities, Acquisition and loss of State Territory, Territorial water, Continental Shelf, Contiguous zone and exclusive economic zone, Freedom of the High Sea and Piracy
Recognition of States and Governments, Recognition of Insurgency and belligerency, do facto and de jure recognition, State succession, state Jurisdiction, state Responsibility, Intervention

Unit 3 : Diplomatic agents, Counsels. Classification and Functions of diplomatic agents, Privileges and Immunities of diplomatic agents with reference to Vienna Convention on Diplomatic Relation, 1961. Treaties : Definition, Basis, classification and formation of treaties. Interpretation and revision of treaties, principles of jus cogens and pacta sunt servanda, termination of treaties. Vienna Convention on the Law of Treaties. Pacific and compulsive means of settlement of international disputes

International Institution : League of Nations, United Nations. History and formation of United Nations, Organs of United Nations with specific reference to General Assembly, Security Council and International Court of Justice, New International Economic Order and Disarmament

Unit 4: War : Its legal character and effects, Enemy character, Armed conflicts and other hostile relations, belligerent Occupation, War Crimes, termination of war and doctrine of postliminium, Prize courts.

The law of Neutrality-Basis of neutrality, Rights and duties of neutral state and belligerent States. Quasi neutrality and U.N. Charter. Right of Angary, Contraband, Blockade, unneutral Service, Right of Visit and Search.

Unit 5 : Human Rights : Introduction, Meaning, Definition & Brief History. The Protection of Human Rights Act 1993 National Human Rights Commission, Human Rights Commission of Rajasthan, Role of Judiciary in Promotion and Protection of Human Rights.

Universal Declaration of Human Rights, 1948, Covenant on Civil and Political Rights 1966 and covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966

षष्ठम प्रश्न-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
(3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
(4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: परिभाषा, प्रकृति एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार, क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है? अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दुर्बलताएं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण एवं विकास, राज्य विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय, अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान, राष्ट्रीयता, प्रत्यर्पण एवं आश्रय।

इकाई 2: सामान्य रूप में राज्य, राज्य एवं गैर राज्य इकाईयों के प्रकार, राज्य क्षेत्र का अर्जन एवं खोना, प्रादेशिक समुद्र, महाद्वीपीय समुद्र तल, पार्श्ववर्ती पेटी, अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र, खुले समुद्र की स्वतंत्रताएं, समुद्री डाका। राज्य एवं सरकारों की मान्यता, राज्य प्रतिरोध एवं युद्ध मान की मान्यता, तथ्येन एवं विधितः मान्यता, राज्य उत्तराधिकार, राज्य क्षेत्राधिकार, राज्य उत्तरदायित्व, हस्तक्षेप।

इकाई 3: राजनयिक अभिकर्ता, वाणिज्यिक दूत, राजनयिक अभिकर्ताओं का वर्गीकरण एवं उनके कार्य, राजनयिक सम्बन्धों पर वियना अभियमस 1961 के अनुसार राजनयिक अभिकर्ताओं के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तिया। संधियां : परिभाषा, आधार, संधियों का वर्गीकरण एवं निर्माण, निर्वचन एवं पुनरीक्षण, जस कोजन्स एवं पैक्टा सन्ट सर्वेन्डा का सिद्धान्त, संधियों का समपान। संधियों की विधि पर वियना अभिसमय, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों के शान्ति पूर्ण और बाध्यकारी तरीके।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं : राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का इतिहास, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग विशेष रूप से महासभा सुरक्षा परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एवं निःशस्त्रीकरण।

इकाई 4: युद्ध : इसकी विधिक प्रकृति एवं प्रकार, शत्रु रूपता, सशस्त्र संघर्ष एवं अन्य शत्रुता पूर्ण सम्बन्ध, युद्धरत आधिपत्य, युद्ध अपराध, युद्ध की समाप्ति एवं पुनः संस्थापन का सिद्धान्त, प्राइज न्यायालय।

तटस्थता की विधि : तटस्थता का आधार, तटस्थ राज्यों एवं युद्धमान राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्य। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर एवं अर्धतटस्थता। परिवहन अधिकार, विनिषिद्ध, नाकाबन्दी, अटस्थ सेवायें, निरीक्षण व तलाशी।

इकाई 5: मानव अधिकार : परिचय, अर्थ, परिभाषा एवं संक्षिप्त इतिहास, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राजस्थान का मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में न्यायपालिका की भूमिका।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की प्रसविदा 1966 एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसविदा 1966

LEADING CASES

Unit No.

1. North Sea Continental Shelf Case, ICJ Reports, 1968, P.3	2
2. Kutch ward, Foreign Affairs Reports, Vol. XXVII (27) 68	3
3. Right to Passage over Indian Territory, ICJ Reports, 1950 P.6	2
4. South West Africa case, 1966 ICJ Reports, P.6	4
5. United Kingdom v. Norway (Anglo-Norwegian Fisheries Cases) ICJ Reports, 1951, P. 116	2
6. The Corfu Channel Cases (Preliminary Objections) ICJ Report, 1948 P. 15	2
7. Nicaragua v. The U.S.A., ICJ Reports, 1984, P. 169	2

BOOKS RECOMMENDED

Starke : An Introduction of Internatioal Law

Briggs: Law of Nations

Kapoor, S.K. : International Law

Tandon, M.P. : Public International Law

टण्डन, एम.पी. : अन्तर्राष्ट्रीय विधि

वेदालंकार, हरीदत्त : अन्तर्राष्ट्रीय विधि

कपूर, एस.के. : अन्तर्राष्ट्रीय विधि जैन,

हरिमोहन : अन्तर्राष्ट्रीय विधि

Ian Browall : Basic Documents on Human Rights

H. Lauterpatch : International Law and Human Rights (1950)

The United Nations and Human Rights: Office of Public Information United Nations (1973)

Frede Castberg : The European Convention on Human Rights (1974) C.J. Jenks : Human Rights and International Labour Standards (1960)

PAPER VII

LAW OF CONTRACT-II (SPECIFIC CONTRACTS)

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

(ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.

- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1 : Contract of Indemnity and Guarantee:

- (a) Meaning: Distinction between indemnity and kinds of guarantee,
- (b) Rights of Indemnity holder
- (c) Rights of the Surety, Extent of the Liability of the Surety.
- (d) Discharge of liability of the Surety

Unit 2: Contracts of Bailment and Pledge:

- (a) Meaning and kinds of contracts of Bailment-Bailment without consideration
- (b) Rights and duties of bailee and bailor
- (c) Termination of Contract of Bailment
- (d) Position of the finder of goods under law
- (e) Contract of Pledge: Meaning and definition, pledge by unauthorised persons

Unit 3 : Contract of Agency :

- (a) Definition, kinds and modes of creation of Agency
- (b) Relations between (i) the principal and agent (ii) The principal and third party and (iii) The agent and the third party
- (c) Determination of agent's authority (i) By act of parties: and (ii) By operation of Law-Irrevocable authority

Unit 4 : Contract of Sale of Goods : The Sale of Goods Act, 1930:

- (a) Sale-Meaning, Definition and Elements
- (b) Agreement to sell, hire-purchase agreement and a contract for work and labour-meaning and distinction from sale
- (c) Goods-existing, future and contingent
- (d) Conditions and warranties
- (e) Passing of property and risk from seller to buyer
- (f) Sale by unauthorised person
- (g) Law relating to performance of sale
- (h) Rights of Unpaid Seller

Unit 5: Contract of Partnership: The Partnership Act, 1932:

- (a) Meaning, definition, formation and the characteristics of contract of partnership
- (b) Distinction between
 - (i) Co-ownership and partnership
 - (ii) Joint Hindu Family firm and Partnership and
 - (iii) Company and partnership
- (c) Position of Minor
- (d) Relation inter se of partners and relation of partners with third parties
- (e) Registration of partnership firm
- (f) Dissolution of partnership firm

सप्तम प्रश्न पत्र

संविदा विधि द्वितीय (विशिष्ट संविदाएं)

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: क्षतिपूर्ति एवं गारण्टी की संविदा :

- (अ) अर्थ, गारण्टी व क्षतिपूर्ति में विभेद व गारण्टी के प्रकार
(ब) क्षतिपूर्ति धारी के अधिकार।
(स) प्रतिभू के अधिकार एवं उसके दायित्व का विस्तार।
(द) प्रतिभू की दायित्व से उन्मुक्ति।

इकाई 2: उपनिधान एवं गिरवी की संविदा

- (अ) उपनिधान की संविदा का अर्थ एवं प्रकार – बिना प्रतिफल के उपनिधान,
(ब) उपनिधाता एवं उपनिहित के अधिकार एवं कर्तव्य,
(स) उपनिधान की संविदा का पर्यावसन,
(द) विधि के अन्तर्गत खोये हुए माल को पाने वाले की स्थिति।
(य) गिरवी की संविदा: अर्थ एवं परिभाषा, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा गिरवी।

इकाई 3: अभिकरण की संविदा

- (अ) परिभाषा, प्रकार एवं अभिकरण के निर्माण के तरीके,
(ब) (1) अभिकर्ता एवं प्रमुख के मध्य, सम्बन्ध
(2) प्रमुख एवं तृतीय पक्षकार के मध्य एवं
(3) अभिकर्ता एवं तृतीय पक्षकार के मध्य सम्बन्ध
(स) अभिकर्ता के प्राधिकार का निर्धारण
(1) पक्षकारों के कार्य द्वारा एवं
(2) विधि के प्रवर्तन द्वारा – अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार।

इकाई 4: माल विक्रय की संविदा : माल विक्रय अधिनियम, 1930:

- (अ) विक्रय – अर्थ, परिभाषा एवं तत्व
(ब) विक्रय का करार, किराया पद्धति खरीद-क्रय करार एवं कार्य एवं श्रम के लिए संविदा, विक्रय एवं विक्रय के करार में भेद।
(स) माल – वर्तमान, भावी एवं संदिग्ध।
(द) शर्त एवं वारण्टी।
(य) विक्रेता से क्रेता को सम्पत्ति एवं जोखिम का हस्तान्तरण।
(र) अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा विक्रय।
(ल) विक्रय सम्पादन से सम्बन्धित विधि,
(व) अदत्त विक्रेता के अधिकार।

इकाई 5: भागीदारी की संविदा : भागीदारी अधिनियम, 1932

- (अ) भागीदारी संविदा का अर्थ, परिभाषा, निर्माण एवं विशेषताएं।
(ब) निम्नलिखित में अन्तर :
(1) सह स्वामित्व एवं भागीदारी,
(2) संयुक्त हिन्दू परिवार फर्म एवं भागीदारी,

- (3) कम्पनी एवं भागीदारी
 (स) अवयस्क की स्थिति
 (द) भागीदारों के आपस में सम्बन्ध एवं भागीदारों के अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध
 (य) भागीदारी फर्म का पंजीकरण,
 (र) भागीदारी फर्म का विघटन।

LEADING CASES

Unit No.	
1.	National Bank of Lahore v. Sohan Lal, AIR 1962 Punj. 534 2
2.	Amritlal Goverdhan Lal v. State Bank of Travencore, AIR 1968 SC K 1432 1
3.	Patnaik & Co. v. State of Orissa, AIR 1965 SC 1655 1
4.	State of Gujarat v. Mamon Mohed., AIR 1967 SC 1885 2

BOOKS RECOMMENDED

Atryah,P,S.: An Introduction to the Law of Contract, Pollock & Mulla: Indian Contract and Specific Relief, VG. Ramchandran: The Law of Contract in India VG. Ramchandran: Law of Agency

Dessi, S .T : The Law of Partnership in India and Pakistan Agarwal, O.P. : The Indian Partnership Act, 1932 Agarwal,O.P. : The Sale of Goods Act, 1930

Kapoor, N.D. : Mercantile Law

Avtar Singh: Law of Contract (English and Hindi) Avtar Singh: Law of Partnership (English and Hindi) Avtar Singh : Principles of the Law of Sale of Goods (English and Hindi)

सक्सेना, नवलका : व्यापारिक सन्नियम

कपूर : संविदा विधि आर.एल.राठी :

व्यापारिक सन्नियम

OPTIONAL PAPERS

PAPER VIII (a)

INDIAN LEGAL AND CONSTITUTIONAL HISTORY

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.

- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1: Introductory : The early Charters (Charters of 1600 and 1861) and Surat Factory, Administration of Justice in Madras, Bombay and Calcutta before 1726, Charter of 1726 and Establishment of Mayor's Court; Charter of 1753

Unit 2 : The Regulating Act, 1773, The Supreme Court of Calcutta, Bombay and Madras. Merits and Defects of Regulating Act and the Act of Settlement, 1781

Cases:

(a) Trial of Raja Nand Kumar (b) Patna Case, and (c) Cossijurah Case

The Beginning of the Adalat System. The Judicial Plans of 1772 and 1774 introduced by Warren Hastings, Judicial Reforms of Cornwalli sand Bentick

Unit 3 : The High Court : Dual Judicature before 1861, Indian High Courts Act, 1861 Privy Council, Federal Court, Development of Law in Mofussil (Justice, Equity and Good conscience) Development of Criminal Law, Changes in Criminal-Law 1790-1861 Charter Act of 1833

Codification of Law : Law Commission, Legislative Council, First, Second and Third Law Commissions. The Lex Loci Report

Unit 4 : The Government of India Act, .1858, Indian Councils Act of 1861 and 1892 Act of 1909: Morely Minto Reforms, Government of India Act, 1919

Unit 5 : Simon Commission, Round Table Conference, Government of India Act, 1935 Federalism : Nature and characteristics under the Act. Executive Powers of. Governor General, Federal Legislature, Federal Court, Provincial Autonomy, Powers of the Governor, Crips Mission, Indian Independence Act, 1947, Abolition of Jurisdiction of Privy Council, Constituent Assembly; its formation, working and contribution

अष्टम (अ) प्रश्न पत्र भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास

- टिप्पणी :
- (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
 - (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 - (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
 - (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

- इकाई 1: परिचय, प्रारम्भिक चार्टर (1600 एवं 1861 का चार्टर) सूरत फैक्ट्री 1726 से पूर्व मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में न्याय प्रशासन, 1726 का चार्टर एवं मेयर कोर्ट की स्थापना : 1753 का चार्टर।
- इकाई 2: रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के सर्वोच्च न्यायालय, रेग्यूलेटिंग एक्ट के गुण एवं दोष एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 1781।

प्रकरण: (अ) राजा नन्दकुमार का परीक्षण,
(ब) पटना प्रकरण एवं
(स) कोसीजुराह प्रकरण।

अदालत व्यवस्था का प्रारम्भ वारेन हैस्टिंग्स के द्वारा जारी की गई 1772 एवं 1774 की न्यायिक योजनाएं, कॉर्नवालिस एवं बैण्टिक के न्यायिक सुधार।

- इकाई 3: उच्च न्यायालय : 1861 से पूर्व दोहरी न्यायपालिका, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, प्रीवी कौंसिल, संघीय न्यायालय, मुफस्सिल में विधि का विकास, (न्याय, साम्या एवं शुद्ध अंतःकरण) आपराधिक विधि का विकास, 1790 से 1861 तक आपराधिक विधि में परिवर्तन।

1833 का चार्टर अधिनियम,

विधि का संहिताकरण : विधि आयोग, विधायी परिषद, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विधि आयोग लेक्स लोसी रिपोर्ट।

- इकाई 4: भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद् अधिनियम 1861 एवं 1892, 1909 का अधिनियम : मोरले मिण्टो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919।

- इकाई 5: साइमन आयोग, गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935।

संघवाद : अधिनियम के अन्तर्गत प्रकृति एवं विशेषताएं, गर्वनर जनरल के कार्यपालिका शक्तियां, संघीय विधायिका, संघीय न्यायालय, प्रान्तीय स्वायत्तता, गर्वनर की शक्तियां, क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रीवी कौंसिल के क्षेत्राधिकार की सम्पत्ति, संविधान सभा : इसका गठन, कार्यप्रणाली एवं योगदान।

BOOKS RECOMMENDED

Jain, M.P. : Outlines of Indian Legal History

Keith, A.B. : Constitutional History of India (1973), Chapters VII, VIII, X, XI and XII only
Banerjee, A.C. : The Making of the Indian Constitution Mahajan, V.D. : Constitutional history of India

Sinha, B. S.: Legal History of India Jois, M. Rama : Legal History of India Kulshreshtha,

VD. : Landmarks in Indian Legal and Constitutional History

Jain, M.P. : Bharatiya Vidhi ka Itihas/Sood : Sanvidhan ka Itihas

Mittal, J.K.: Bharat ka Vaidhanik avam Samvedhanik Itihas Pranjape, N.V. : Bhartiya Vidhi ka Itihas

Tripathi, G.P. : Bharat ka Vaidhanikawam Samvedhanik Itihas

PAPER VIII (b)

INSURANCE LAW

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit I : (a) Evolution and development of the concept of Insurance, Role and importance of Insurance.

- (b) General principles of the contract of Insurance, Nature of contract of Insurance.
- (c) Classification of policies. Selection and measurement of risk, Treatment of substandard risk, Calculation of Premium.

Unit 2 : (a) Licencing of Insurance Agents, Duties and Powers of Controller of Insurance Under the Insurance Act, 1938.

- (b) Status, and legal position of the nominee under the Insurance Act, 1938.

Unit 3 : (a) Establishment of Life Insurance Corporation of India.

- (b) Investment provisions and Rights of the Policy holders under the Life Insurance Corporation Act, 1956.

Unit 4: Marine Insurance and Fire Insurance:

Motor Insurance, Live-stock Insurance, Insurance against deterioration of stocks, loss or profit Insurance, Contractor's all Risk Insurance and Credit Guarantee.

Unit 5: Public Liability Insurance Act, 1992:

Definitions; Criminal liability based on no ,fault, Verification and publication of accidents by Collector, Application for claim for relief-Environment Relief Fund; Claim of Compensation under other laws; Powers of the General Government or its authorised officers under the Act. Penalties, Liability of Companies or Government Departments.

अष्टम (ब) प्रश्न पत्र

बीमा विधि

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

- इकाई 1: (अ) बीमा की अवधारणा का उद्गम एवं विकास, बीमा की भूमिका एवं महत्व।
(ब) बीमा की संविदा के सामान्य सिद्धान्त, बीमा की अवधारणा की प्रकृति।

(स) पॉलिसियों का वर्गीकरण खतरे का चुनाव एवं माप निम्न स्तर के खतरे का उपचार, प्रीमियम की गणना।

- इकाई 2: (अ) बीमा अभिकर्ता को अनुज्ञप्ति देना, बीमा नियंत्रक के कर्तव्य एवं शक्तियां, बीमा अधिनियम 1938 के अन्तर्गत।
(ब) बीमा अधिनियम 1938 के अन्तर्गत नामित की प्रस्थिति एवं विधि स्थिति।
- इकाई 3: (अ) भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना,
(ब) विनियोजन के प्रावधान एवं जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पॉलिसी धारकों के अधिकार।
- इकाई 4: सामुद्रिक बीमा एवं अग्नि बीमा वाहन बीमा, जीवन स्टॉक बीमा, माल की हानि के विरुद्ध बीमा, हानि-लाभ बीमा, ठेकेदार के समस्त खतरे का बीमा एवं उधार की गारण्टी।
- इकाई 5: लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1992
परिभाषा, बिना गलती पर आधारित आपराधिक दायित्व, कलेक्टर द्वारा दुर्घटनाओं की पुष्टि एवं प्रकाशन, राहत के लिये दावे का आवेदन-पत्र, पर्यावरण राहत कोष, अन्य विधियों के अन्तर्गत प्रतिकर के लिये दावा, अधिनियम के अन्तर्गत सरकार या इसके प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां जुर्माना, कम्पनियों एवं सरकारी विभागों का दायित्व।

LEADING CASES

1. New India Assurance Co. v. Radhey Shyam Motilal Khandelwal, AIR 1974 Bombay, 228
2. Prudential Insurance Co. v. Inland Revenue Commissioner, (104) 2KB658
3. Mills v. Smith (1963) 2 All ER 1078
4. Diby v. General Accident,(1943) ACER 121,138
5. Glickman v. Lancashire and General Assurance Co. Ltd., (1978) AC 139(HL)

BOOKS RECOMMENDED

Mishra, M.N. : Insurance-Principles and Practices

Rao, C.K. : Treaties on the Law of Insurance The Insurance Act, 1938 The Life Insurance Corporation Act, 1956

Karkara, G.S. : Commentary on Public Liability Insurance Act Murthy and Sharma: Modern Law of Insurance in India

PAPER VIII (c)

EQUITY, TRUST AND FIDUCIARY RELATIONSHIP

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.

(iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

Unit 1: Equity: Place and functions of equity. Nature and Concept of equity, Origin and Growth of Equity in England.

Unit 2 : Maxims of equity, Equitable rights and Equitable remedies.

Unit 3: Indian Trust Act, 1882 : Definition-Creation of Trusts, Duties and Liabilities of Trustees, Rights and powers of Trustees, Disabilities of Trustees, Rights and Liabilities of the Beneficiary, Vacating 'the office of Trustees, Extinction of Trustees, Certain obligation in the nature of Trusts.

Unit4 : Rajasthan Public Trusts Act, 1959 : Definition and validity of certain public trusts, Registration of public trust, Management of Public Trust property, powers of officers in relation to Public Trusts, Control of Public Trusts, Special provisions in respect to certain trusts-Dharmada, procedure and penalties.

Unit 5 : Fiduciary Relationship, Definition, Kinds, classification, Fiduciary principle.

अष्टम (स) प्रश्न पत्र साम्या, न्याय एवं वैश्वासिक सम्बन्ध

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
(3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
(4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

इकाई 1: साम्या : साम्या का स्थान एवं कार्य, साम्या की प्रकृति एवं अवधारणा, इंग्लैण्ड में साम्या का उद्गम एवं विकास।

इकाई 2: साम्या के सूत्र : साम्यिक अधिकार एवं उपचार।

इकाई 3: भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 :
परिभाषा – न्यास का निर्माण, न्यासधारियों के कर्तव्य एवं दायित्व, न्यासधारियों के अधिकार एवं शक्तियां, न्यासधारियों की नियोग्यताएं, हितग्राही के अधिकार एवं दायित्व, न्यासियों द्वारा पद छोड़ना, न्यास की समाप्ति, न्यास की प्रकृति के कतिपय आभार।

इकाई 4: राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 :

कतिपय लोक न्यासों की परिभाषा एवं वैधता, लोक न्यासों का पजीकरण लोक न्यास सम्पत्ति का प्रबन्धन, लोक न्यासों के सम्बन्ध में अधिकारियों की शक्तियां, लोक न्यासों का नियंत्रण, कतिपय न्यासों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान – धर्मादा, प्रक्रिया एवं दण्ड।

इकाई 5: वैश्वसिक सम्बन्ध, परिभाषा, वर्गीकरण, वैश्वसिक सिद्धान्त।

LEADING CASES

1. Hindu Religious Endowments, Madras v. Shri Lakshminder Thirtha Swami of Shirur Mutt, AIR 1954 SC 2 82
2. Durgah Committee, Ajmer v. Syad Hussain Ali, AIR 1961 SC 1402
3. Surajmal Singhvi v. State of Rajasthan, 1966 RLW 566
4. Tidayat Shri Govindalalji v. State of Rajasthan AIR 1963 SC 1630

BOOKS RECOMMENDED

Upadhyaya, J.J.R. : Equity, Trusts with Fiduciary. Relations and Specific Relief

Gandhi, B.M.: Equity, Trusts and Specific Relief Varadachri, VK.: Public Trusts and Taxation

]

PAPER IX

PROFESSIONAL ETHICS, ADVOCACY FOR LAWYERS AND BAR BENCH RELATIONS

Note: (i) The syllabus has been divided into five units. Questions will be set from each unit with provision for internal choice.

- (ii) In order to ensure that students do not leave out important portions of the syllabus, examiners shall be free to repeat the questions set in the previous examination.
- (iii) Leading cases prescribed under this paper may be read under the respective unit No. shown against each case.
- (iv) In the case of discrepancies between English and Hindi Version, English Version will prevail.

THEORY (A)

Marks: 80

Unit 1 : Legal Profession in its Historical perspective-Position before Legal Practitioners Act, 1879; upto. Indian Bar Council Act, 1926, and history of Legal Profession up to Advocates Act, 1961

Unit 2: Professional conduct and Professional ethics-Nature and Scope, Duty to the Profession, Rights and Privileges of an advocate

Unit 3 : Duties towards Courts and clients Duties towards opponent and Duties towards public

Unit 4 : Code of professional ethics, punishment for misconduct and procedure, Under the Advocate Act, 1961 selected opinions of disciplinary committees and Supreme Court decisions on professional misconduct as reported in the immediate preceding year

VIVA-VOCE (B)

Marks: 20

The students have to clear the written paper as well as Viva-Voce separately, i.e. 29 marks in the written and 7 marks in the viva-voce. are necessary. The viva-voce will be based on personal interview only. Evaluation may be made before or after theory examination. The date of Practical examination will be notified by the Dean.

Note : Viva-voce will be taken by two permanent/regular teachers or by one permanent and one local retired teacher or any permanent part time teacher or other part time teacher who fulfills eligibility criteria for lecturer as per UGC rules.

नवम प्रश्न पत्र

**व्यवसायिक नीति शास्त्र, अधिवक्ताओं की वकालत एवं
बार बैच सम्बन्ध**

- टिप्पणी : (1) पाठ्यक्रम को पांच इकाईयों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई में से आन्तरिक विकल्प (Internal Choice) के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे।
- (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंशों को छोड़ न दे, परीक्षक पूर्व वर्ष की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (3) इस प्रश्न-पत्र में विहित निदेशक वाद उसी इकाई के अन्तर्गत समझे जाएंगे जिनका क्रमांक उनके आगे प्रदर्शित है।
- (4) अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी अनुवाद अधिमान्य होगा।

सैद्धान्तिक (अ)

अंक 80

इकाई 1: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विधिक व्यवसाय—विधिक व्यवसाय अधिनियम, 1879 के पूर्व से लेकर भारतीय विधि की परिषद् अधिनियम, 1926 तक की स्थिति एवं अधिवक्ता अधिनियम 1861 तक विधिक व्यवसाय का इतिहास।

इकाई 2: व्यवसायिक आचरण तथा व्यवसायिक नीति शास्त्र—प्रकृति एवं क्षेत्र, व्यवसाय के प्रति कर्तव्य, अधिवक्ता के अधिकार एवं विशेषाधिकार।

इकाई 3: न्यायालय एवं मुवकिल के प्रति कर्तव्य, प्रतिपक्षी एवं जनता के प्रति कर्तव्य।

इकाई 4: व्यवसायिक नीति शास्त्र की संहिता,
अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दुराचार के लिए दण्ड एवं प्रक्रिया, अनुशासनिक समिति की चुनिंदा
रायें एवं तुरन्त पिछले वर्ष में रिपोर्ट हुए सर्वोच्च न्यायालय के व्यवसायिक दुराचार से सम्बन्धित निर्णय।

मौखिक परीक्षा (ब) विद्यार्थी को पृथक-पृथक रूप से लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अर्थात् लिखित प्रश्न-पत्र में 29 एवं मौखिक परीक्षा में 7 अंक अर्जित करने आवश्यक होंगे। मौखिक परीक्षा केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगी। मूल्यांकन सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्व अथवा पश्चात् किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि अधिष्ठाता द्वारा दी जाएगी।

टिप्पणी : मौखिक परीक्षा दो स्थायी नियमित शिक्षकों द्वारा ली जायेगी या एक स्थायी एवं एक स्थानीय सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा या किसी स्थायी अंशकालीन शिक्षक द्वारा या अन्य अंशकालीन शिक्षक द्वारा जो लेक्चरर के लिये यू.जी.सी. द्वारा तय किये गये नियमों के अनुसार पात्रता रखता है द्वारा ली जायेगी।

READING MATERIAL

1. M. Krishna Murthy Iyer's Book on Advocacy
2. The Contempt Law of Practice
3. The Bar Council Code of Ethics
4. SQ selected opinions of the Disciplinary Committee of Bar Council and 10 major judgements of the Supreme Court on the subject, in the immediate preceding year